Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Vol. 12, Issue 1 | May 2024 - October 2024 | pp. 35-39

महाभारत में नियोग के आख्यान तथा महिला पात्रों की भागीदारी व प्रतिक्रिया का ऐतिहासिक विश्लेषण

नीलम शर्मा

सहायक आचार्य, इतिहास

राजकीय कन्या महाविद्यालय, चौमूं, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

नियोग प्रथा उत्तराधिकार समस्या के समाधान रूप में प्रस्तुत की गई प्रतीत होती हैं। भारतीय इतिहास का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि भारतीय समाज में विवाह संस्था का मूल दायित्व वंश की निरंतरता को बनाए रखने में निहित था। यदि इस संदर्भ में कोई बाधा उत्पन्न होती तो उसे दूर करने के लिए व्यवस्थाकारों ने नियमानुसार अनेक मार्ग सुझाए थे जिनमें नियोग प्रथा एक थी। महाभारत भारतीय समाज के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालने वाला एक वृहद ग्रंथ है इसमें अनेक कथानकों के माध्यम से नियोग प्रथा पर भी प्रकाश डाला गया है। महाभारत विभिन्न कथाओं के माध्यम से नियोग प्रथा के दिशा निर्देशों, नियमों तथा व्यवहारिक धरातल पर इसकी प्रक्रिया को न केवल स्पष्ट करती है बल्कि इस संदर्भ में प्रतिभागियों की लैंगिक प्रतिक्रिया को भी हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। महाभारत का मुख्य कथानक तथा इससे जुड़े हुए अनेक अन्य उदाहरण और कथानक इस प्रथा का न केवल नियामक विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं अपितु समाज में व्यावहारिक रूप से किस प्रकार से और किन परिस्थितियों में इसका क्रियान्वयन किया जा रहा था इस पर भी प्रकाश डालते हैं। ऐसे में इस प्रथा को लेकर विभिन्न लैंगिक प्रतिक्रियाएँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इन आख्यानों की विषयवस्तु में दृष्टिगोचर होती है, इनका सूक्ष्म विवेचन हमें वह दृष्टि देता है जिससे महिला पात्रों की भागीदारी के साथ-साथ इनकी प्रतिक्रियाओं का समकालीन परिस्थितियों और समाज में क्या और कैसा प्रभाव पड़ा तथा होने वाली संतति के लिए यह समस्त परिस्थितियाँ किस प्रकार की रहीं यह भी इनसे स्पष्ट होता है।

संकेताक्षर—*नियोग, आख्यान, महाकाव्य, उत्तराधिकार समस्या, पितृसत्तात्मक, लैंगिक प्रतिक्रिया*

प्रस्तावना

महाभारत भारतीय आख्यान परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। महाभारत से प्राचीन भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त होती है। भारतीय समाज में महाकाव्य लंबे समय तक गाथा परंपरा में प्रचलित रहे और इनकी यह विशेषता इन ग्रंथों को और भी अधिक वैविध्यपूर्ण तथा समाज की सभी वर्गों को छूते हुए विषयों से जोड़ती है। महाकाव्यों की शैली आमजन के लिए सुलभ और समझने योग्य थी। ऐसे में कहा जा सकता है कि आख्यान परंपरा का दायरा और उसका प्रभाव तथा पहुँच विधान परंपरा से अधिक विस्तृत और व्यापक थी। अतः महाकाव्यों का समाज पर प्रभाव व्यापक तथा प्रभावपूर्ण रहा होगा। जहां तक नियोग प्रथा और इससे जुड़े नियम विधान और संबंधित गाथाओं का प्रश्न है महाभारत में इस विषय को व्यापक रूप से उठाया गया है तथा इसके स्वरूप के विभिन्न पहलुओं पर यह महाकाव्य प्रकाश डालता है। महाभारत इस प्रथा में हो रहे परिवर्तन, इसकी उपयोगिता अनुपयोगिता पर भी अपनी विभिन्न आख्यानों के माध्यम से प्रकाश डालती है। यह ग्रंथ अपने मूल कथानक के साथ अन्य अनेक घटनाओं को भी प्रकाश में लाता है और इस परंपरा को अनेक सदियों में संकलित किया गया है ऐसे में ये तत्कालीन समाज के विभिन्न कलेवरों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। इसका प्रारूप हमें नियोग प्रथा के संस्थागत रूप के अनेक पहलुओं से

अवगत करवाता है पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था, साम्राज्य विस्तार की बढ़ती महत्वाकांक्षा, कृषि के विस्तार की पृष्ठभूमि में भारतीय समाज में हो रहे निरंतर परिवर्तन महाभारत में परिलक्षित होते हैं।

महाभारत से हमें उत्तरोत्तर नियोग प्रथा के अनेक दृष्टांत और कथानक प्राप्त होते हैं, इनसे प्राप्त साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में यह महाकाव्य इस विषय पर अनेक आयामों के विषय में जानकारी प्रदान करता है जैसे प्रथा का उपयोग कब करना चाहिए? बीजिंग के चयन में किन को अधिकार प्राप्त है? एक आदर्श बीजिंग कौन हो सकता है? क्षेत्रज की संख्या तथा उसके अधिकार क्या हो सकते हैं? क्षेत्रज पर किसका स्वामित्व हो सकता है? इस प्रथा को लेकर तत्कालीन समय की सामाजिक प्रतिक्रियाओं तथा सामाजिक दृष्टिकोण पर पृथक-पृथक दृष्टि से महाभारत के विभिन्न कथानक दृष्टिपात करते प्रतीत होते हैं। ऐसे में सामाजिक ऐतिहासिक चित्र पटल पर इस प्रथा के स्थान निर्धारण और अनेक मानव समुदायों में इसे किस दृष्टिकोण से देखा गया इस संदर्भ में इसकी स्थिति स्पष्ट होती है। यह ग्रंथ इस प्रथा के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों की पृष्ठभूमि को स्पष्ट करता है और साथ ही इसका धर्म विधि भाग इस प्रथा के निर्धारित औपचारिक स्वरूप पर प्रकाश डालता है तो आख्यानात्मक भाग इस प्रथा के माध्यम से पितृ सत्तात्मक समाज की जमीनी वास्तविकता से अवगत करवाता है। महाभारत का मुख्य कथानक भरतवंश से जुड़ा हुआ है। भरतवंश को वंश परंपरा में महाराज शांतनु के पश्चात् उत्तराधिकार समस्या का सामना करना पड़ा। यहाँ उनके ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा कर ली तो वहीं रानी सत्यवती से उनके पुत्र विचित्रवीर्य और चित्रवीर्य पुत्र हीन अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजमाता सत्यवती महाराज शांतनु के ज्येष्ठ पुत्र भीष्म से आपद्धर्म की पालना करते हुए भरतवंश को उत्तराधिकारी प्रदान करने हेतु अपनी प्रतिज्ञा को भंग कर विचित्रवीर्य की पत्नी के साथ नियोग परंपरा का अनुपालन करने की आज्ञा देती है। परन्तु भीष्म उनके इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने का निश्चय करते हैं। तदुपरान्त रानी सत्यवती अपने ज्येष्ठ पुत्र वेद व्यास को बीजिन के रूप में नियुक्त करती है तथा अपनी बड़ी पुत्रवधू अंबिका को उसके कर्तव्य के विषय में समझाते हुए नियोग के माध्यम से उत्तराधिकारी की प्राप्ति हेतु सहमत करती है। संभवतः अंबिका को नियुक्त बीजिन के विषय में जानकारी नहीं थी अतः रात्रि के अंधकार में ऋषि वेद व्यास को अपने समक्ष देखकर कर वह भयग्रस्त हो गई और प्रतिरोध स्वरूप उसने अपनी आंखें बंद कर ली परिणामस्वरूप उसे अंधा पुत्र होने का श्राप प्राप्त हुआ। इसके पश्चात सत्यवती ने नियोग हेतु अपनी द्वितीय पुत्र वधु अम्बालिका को नियुक्त किया किंतु भयग्रस्त अम्बालिका ने भी उदास और नीरस प्रतिक्रिया दी फलतः उसे भी पांडु वर्ण युक्त पुत्र होने का श्राप प्राप्त हुआ। सत्यवती अपने साम्राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी चाहती थी अतः उन्होंने पुनः अपनी बड़ी पुत्रवधू अंबिका को आदेशित किया किंतु अंबिका ने फिर से प्रतिरोध करते हुए अपनी दासी को ऋषि के पास भेज दिया जिनसे स्वस्थ और विद्वान विदुर का जन्म हुआ। इसी प्रसंग में महाभारत में परशुराम का कथानक सामने आता है। भीष्म बीजिन हेतु ब्राह्मणों को उपयुक्त बताते हुए परशुराम का संदर्भ प्रस्तुत करते हैं कि जब क्रोध वश भगवान परशुराम ने समस्त पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था तब क्षत्रिय महिलाओं ने अपने विवाह संस्कार के मौलिक कर्तव्य वंश परंपरा की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर किया तथा स्वयं तपस्यारत सात्विक ब्राह्मणों से उनके पति वंश की निरंतरता को बनाए रखने हेतु बीजन बनकर सहभागी बनने की प्रार्थना की थी।

परशुराम कथानक के अतिरिक्त महाभारत में महाराज बली की रानी सुदेशना तथा ऋषि दृक्त्मास का कथानक आता है हालांकि यह मिथक दो अवधारणाओं नियोग तथा गौ धर्म का समन्वय प्रतीत होता है तथापि महाराज बलि के संदर्भ में यह नियोग प्रथा को ही इंगित करता है। दृष्टिहीन कृष्ण वर्ण ऋषि दृक्त्मास को गंगा नदी में बहते हुए राजा बली के द्वारा बचाया जाता है। उनके जीवन की रक्षा करने के लिए ऋषि दृक्त्मास राजा बली से प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहते हैं। राजा बलि संतानहीन थे अतः उन्होंने महर्षि से अपने राज्य के उत्तराधिकारी की प्राप्ति की प्रार्थना की तथा महारानी सुदेष्णा से मातृत्व के वरदान का अनुनय किया। इसके पश्चात महाराज बली ने ऋषि दृक्त्मास को अपना बीजिन नियुक्त करते हुए अपनी प्रधान रानी सुदेशना को नियोग प्रथा हेतु आदेशित किया परन्तु रानी सुदेशन दृष्टिहीन तथा अनाकर्षक ऋषि के प्रति समझौता नहीं कर पाती है परिणामस्वरूप वह पति आज्ञा

की अवहेलना को टालने के लिए मध्यम मार्ग निकालती है और अपनी दासी को ऋषि के पास भेज देती है अपने इस निर्णय के परिणामस्वरूप उन्हें न केवल उनके पति के द्वारा तिरस्कृत किया जाता है अपितु ऋषि के द्वारा भी श्राप दिया जाता है अंततः अपने कर्तव्य की ओट में पति के आदेश पूर्ति के लिए रानी स्वयं क्षेत्र के रूप में ऋषि के पास जाती है इस संबंध में महाराज बलि को अपने वैधानिक उत्तराधिकारी की प्राप्ति होती है। यह आख्यान इस बात को प्रस्तुत करती है कि स्वीकार्य बीजिन के बिना महिलाओं के लिए इस प्रथा की अनुपालना कितनी कठिन रही होगी। कथानकों से स्पष्ट है कि सुदेशना, अंबिका, अंबालिका अप्रत्यक्ष सहमति की संकेत देती है परन्तु पितृसत्तात्मक व्यवस्था द्वारा उन्हें और उनकी संतानों को दंड का भागी बनना पड़ता है। राजा धृतराष्ट्र और पांडु का जीवन इस तथाकथित श्राप से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उनकी आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी इस प्रभाव से अछूती नहीं रह सकी। आख्यानों में इस समस्त घटनाओं का दोषारोपण उनकी माताओं पर ही किया जाता है इससे स्पष्ट होता है कि महिलाओं का एकमात्र कर्तव्य पति की वंशपरंपरा को निरंतरता प्रदान करना था, परिस्थितियाँ उनके लिए चाहे कैसी भी क्यों न रही हो। ये दोनों ही कथानक इस प्रथा के संदर्भ में एक प्रकार से महिलाओं की लैंगिक प्रतिक्रिया का उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। इन उदाहरणों से ऐसा प्रतीत होता है कि नियोग की परिकल्पना एक ऐसी प्रथा के रूप में की गई थी जो यह सुनिश्चित करती थी कि पत्नी पर नियंत्रण उसके पति तथा पति के न रहने पर पति के परिवार के पास ही रहे और स्त्री इन सामाजिक मानदंडों की निष्क्रिय वाहक मात्र बनी रही। नियोग प्रथा के बाद भी कुरु साम्राज्य को अगली पीढ़ी में उन्हें उत्तराधिकार समस्या का सामना करना पड़ा। धृतराष्ट्र के पुत्रों का जन्म संबंधी मिथक उनके जन्म को रहस्यमयी बना देता हैं। महाराज पाण्डु ने भी अपनी वंशानुगत निरन्तरता को बनाए रखने के लिए नियोग की प्राचीनता, वैधानिकता, धार्मिकता, स्वीकार्यता व सामाजिक पवित्रता को अनेक उदाहरणों के साथ सिद्ध करने का प्रयत्न किया। इसी कड़ी में महाभारत में सदर्न दायनी का उदाहरण आता है। गृहस्थ जीवन में होते हुए भी वह उनका पति संतान सुख की प्राप्ति नहीं कर सके थे। ऐसे में उनके पति द्वारा नियोग के माध्यम से पुत्र प्राप्ति हेतु उन्हें आदेशित किया जाता है। "हे प्रिये..... उठो और धर्म में अनुरत किसी तेजस्वी ब्राह्मण से हमारे वंश के लिए संतान प्राप्त करो।" पति के इस आदेश की अनुपालना में समस्त नियम और विधि विधानों की अनुपालना के पश्चात् वह पुत्र प्राप्ति की कामना से एक ब्राह्मण के साथ रहने लगी। इस कथानक से नियोग प्रथा के अनेक पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है प्रथमतः पति के जीवित रहते हुए भी यदि वंशवृद्धि संभावना हो तो भी नियोग प्रथा को अपनाया जा सकता था दूसरा इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार पति के पास था।

इसी प्रकार महाभारत में मद्धयन्ति का कथानक आता है, जो राजा कलमष्पाद सुदास की पत्नी थी। यह आख्यान बड़ा ही अनूठा है इसके अनुसार इक्ष्वाकु वंशीय राजा कम सपाट जिनके कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ थे। एक बार राजा शिकार करने के लिए वन में गए जहाँ महर्षि पुत्र और राजा के मध्य एक दूसरे को रास्ता देने के लिए बहस हो गई तथा ऋषि पुत्र ने राजा के मार्ग से हटना स्वीकार नहीं किया तो क्रोध की वशीभूत होकर राजा ने दंड स्वरूप उस पर चाबुक से प्रहार किया परिणामस्वरूप ऋषि ने राजा को नरभक्षी बन जाने का श्राप दे दिया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए महर्षि विश्वामित्र ने राजा की आत्मा को एक राक्षस की वशीभूत कर दिया परिणामस्वरूप राजा ने एक के बाद एक गलतियाँ की जिसके कारण उन्हें अनेक श्राप मिले लेकिन अंत में महर्षि वशिष्ठ ने अपने तपोबल के प्रभाव से राजा को श्राप और राक्षस के प्रभाव से मुक्त करवाया लेकिन उसके बदले में राजा ने अपनी पत्नी माध्यम की को महर्षि वशिष्ठ के पास जाने तथा पुत्र प्राप्ति के लिए आदेशित किया और इस संबंध में फलस्वरूप राजा को अस्मक नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। यद्यपि इस कथानक में अनेक घटनाक्रम बुने गए हैं तथापि यह कथानक इंगित कर रहा है कि विवाह संस्कार के पश्चात् यदि किसी कारणवश पति से उत्तराधिकारी की प्राप्ति संभव न हो तो उसकी पत्नी का यह प्राथमिक दायित्व हो जाता है कि वह पति की वंश परंपरा को बनाए रखे।

महाभारत में प्रस्तुत विभिन्न कथानक नियोग प्रथा के प्रचलित नियमों के साथ-साथ विभिन्न प्रारूपों में इस प्रथा की सामाजिक वैधानिक उपस्थिति को भी स्पष्ट करते है। ऐसा ही एक अन्य उदाहरण भद्राकाशीवती का है। उनके पति की मृत्यु संतान हीन अवस्था में हो गई थी, ऐसे में रानी के समक्ष राज्य के उत्तराधिकार को लेकर संकट उत्पन्न हो गया। मिथक के

अनुसार पुरु वंश के वीर और प्रतापी राजा व्युसितस्व थे। वे अत्यंत साहसी और वीर थे। कथानक के अनुसार एक दिन वे अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गये। उनकी मृत देह के पास बैठी हुई रानी बार- बार विलाप करती रहीं "कोई भी पुत्रहीन व पति हीन स्त्री अभागी है और उसका संपूर्ण जीवन ही व्यर्थ है।" अपनी पत्नी के ऐसे विलाप को सुन कर राजा की आत्मा विचलित हो उठी और उसने रानी को वरदान दिया कि वे उन्हें संतान सुख देंगे, रानी ने अपने पति पर विश्वास किया तथा उनकी बातों का अनुसरण किया जिससे मृत पति के संसर्ग से उसे तीन शाल्व पुत्रों तथा भद्र पुत्रों की प्राप्ति हुई। यद्यपि यह कथानक वास्तविक घटनाओं को छद्मावरित करता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि भद्रकाशीवती का पति जब जीवित था तब तो वह संतान सुख प्राप्त नहीं कर सकी किंतु मृत्यु के पश्चात पति ने स्वयं बीजिन की भूमिका का निर्वहन करते हुए उसे मातृत्व सुख प्रदान किया। घटना का वास्तविक घटनाक्रम कुछ भी रहा हो परंतु इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि यहाँ भी उत्तराधिकार की समस्या का समाधान नियोग प्रथा के माध्यम से करने का प्रयत्न किया गया है।

महाभारत में श्वेतकेतु का आख्यान भी प्रस्तुत किया गया है। श्वेतकेतु ऋषि उद्दालक के पुत्र थे तथा उनका स्वयं का जन्म नियोग प्रथा के द्वारा हुआ था। श्वेतकेतु में महिलाओं के लिए एक नवीन विधान की घोषणा की जो श्वेतकेतु विधान के नाम से जाना जाता है। इस विधान में स्मिथ के तुमने उल्लेख किया है यदि पत्नी को संतान प्राप्ति के लिए आदेशित किया जाए और वह ऐसा करने से इनकार करते हैं तो यह उस पत्नी के द्वारा किया गया अपराध स्वीकार किया जाएगा। यह विधान स्त्रियों के संदर्भ में अत्यंत ही विरोधाभासी प्रतीत होता है। महाभारत में राजकुमारी होगा वती का उल्लेख भी आया है जिनकी पति ने उन्हें आदेशित किया कि वह किसी भी ब्राह्मण अतिथि का हृदय से सत्कार करें और किसी भी परिस्थिति में उनका विरोध ना करे।। और जब स्वयं ब्राह्मण के बीच में अतिथि बनकर आए और उनकी भाव को जानकर भोगावती ने हिचकिचाहट दिखाई लेकिन अन्ततोगत्वा वह पति की आज्ञा मानने के लिए विवश थी। इन आख्यानों से ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी परिस्थिति में महिलाओं के पास एक इच्छा स्वतंत्र्य नहीं था। विवाह से पूर्व पिता का उन पर असीमित अधिकार था जैसा कि माधुरी और कुन्ती की कथानकों से स्पष्ट है तो वहीं विवाह के पश्चात पति का उस पर असीमित अधिकार था और वह किन्हीं भी परिस्थितियों मैं इस असीमितता को चुनौती देने की स्थिति में नहीं थी।

उत्तराधिकारी प्राप्त करने की वैकल्पिक योजना के रूप में व्यवस्थाकारों द्वारा नियोग प्रथा को मान्यता प्रदान की गई। आपातकाल में जहाँ धर्मानुसार विवाह के पश्चात औरस पुत्र की प्राप्ति के अभाव में वंशपरंपरा की निरंतरता को बनाए रखने के लिए समाधान स्वरूप इस प्रथा को सामाजिक वैधानिक रूप से स्वीकार किया गया। महाभारत एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमे अनेक कथानक तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक और धर्म वैधानिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। नियोग के संदर्भ में इस ग्रंथ में अनेक आख्यान प्राप्त होती है और इन आख्यानों का सूक्ष्म विश्लेषण महिला पात्रों की नैतिक बाध्यता, धार्मिक बाध्यता, सामाजिक बाध्यता, पारिवारिक बाध्यता के साथ-साथ उपलब्ध धार्मिक अधिकारों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रयोग करते हुए इस प्रथा के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से इस प्रथा की प्रतिभागी होने के नाते एक विशिष्ट आयाम पर प्रकाश डालती है। चाहे वह सत्यवती का कथानक हो अथवा कुन्ती का, चाहे वह सुदेश ना का कथानक हो अथवा भद्राकाशिवती का, ये समस्त कथानक हमें स्त्री भागीदारों की भूमिका के साथ-साथ उनकी भावनागत स्थित से अवगत करवाते है। यह आख्यान यह भी स्पष्ट करते हैं की पितृसत्तात्मक व्यवस्था में निश्चित ही पुरुषवाणी दृष्टिकोण अधिक प्रमुखता और महिलाओं से इन प्रथाओं की बिना किसी प्रश्न के पालना की अपेक्षा की जाती थी। यद्यपि कुन्ती के साथ उनके पति का विमर्श इससे इतर दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करता है। सरोगेसी का यह विषय निश्चित ही संतानहीनता की स्थिति में समाधान रूप से अनेक नियमों की प्रतिबंधों के साथ अनुशंसित किया गया तथापि कथानकों से हमें बहुत सारा छद्मावरण भी देखने को मिलता है। धर्म विधि साहित्य ने स्त्री की लैंगिक पहचान को विवाह संस्था से सीमित कर पुत्र की माता होने के लक्ष्य से परिसीमित कर दिया था ऐसे में मातृत्व प्राप्ति तथा पति की वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए सरोगेसी की इस विधा को अपनाने के अनेक उदाहरण महाकाव्य में दृष्टिगोचर होते हैं।

निष्कर्ष

नियोग प्रथा के अनेक आख्यान महाभारत से प्राप्त होते हैं। मूल कथानक का घटनाक्रम महाभारत काल में उत्तराधिकारी के समाधान हेतु आपदधर्म की इस व्यवस्था को विधान सम्मत बतलाते हुए तद् सम्बन्धी तार्किक उदाहरण देते हुए अनेक आख्यान महाभारत में आते है जो समाज में कब व किन परिस्थितियों में इस प्रथा को अपनाया गया तथा विधान सम्मत किन-किन नियमों के अंतर्गत इस प्रथा के माध्यम से वंश परम्परा को बनाए रखने हेतु समाधान रूप में प्रयुक्त किया गया ये समस्त आख्यान इस पर प्रकाश डालते हैं। अम्बा-अंबालिका प्रकरण हो अथवा परशुराम प्रकरण, पाण्डु प्रकरण हो अथवा रानी सुदेशना प्रकरण अथवा श्वेतकेतु व मद्रयन्ती प्रकरण, ये समस्त कथानक इस प्रथा के विभिन्न पहलुओं के साथ-साथ इसके प्रतिभागियों की लैंगिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से समाज में इस प्रथा के प्रति सहजता-असहजता के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। बीजिन का चयन अपने-आप में विभिन्न सामाजिक प्रतिक्रियाओं से जुड़ा हुआ निर्णय था वहीं महिला प्रतिभागी की सहजता-असहजता के साथ निर्णय की अनुपालना स्वयं में अनेक प्रश्नों को उत्पन्न करती हैं वही क्षेत्रज की सामाजिक स्वीकार्यता कितनी परीक्षापूर्ण थी यह पाण्डवों के जीवनपर्यंत अपने अस्तित्व को स्थापित करने के संघर्षमय घटनाक्रम से ही स्पष्ट होता है। ऐसे में यह शोध प्रबंध ऐसे अनेक पहलुओं को विश्लेषित करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. शर्मा, आर.एस., मटेरियल, कल्चर एंड सोशल फॉर्मेशन इन एशियंट इंडिया, नई दिल्ली, मैकमिलन, 1988, अध्याय-8
2. अलतेकर, ए.एस., द पोज़ीशन ऑफ विमिन इन हिंदू सिविलाइजेशन फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स टु दी प्रेजेंट, पृ.सं. 31-37
3. विन्टरनिट्ज, एम., ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, 1897
4. कौशाम्बी, डी.डी., मिथ एंड रिऐलिटी, बाम्बे, पॉपुलर प्रकाशन, 1962, अध्याय-2
5. काणे, पी.वी., हिस्टरी ऑफ धर्मशास्त्राज, पूना, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1974, अध्याय-13
6. थापर, रोमिला, अर्ली इंडिया फ्रॉम ओरिजिन्स टु ए.डी. 1300, नई दिल्ली, 2002
7. सरकार, एस.सी., सम स्पेक्स ऑफ द ऑर्लियंस सोशल हिस्टरी इन इंडिया, मिलफोर्ड, लंदन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1928
8. हॉपकिन्स, ई डब्ल्यू, एपिक माइथोलॉजी, दिल्ली, मोतीलाल बनारसीदास, 1974